परिशिष्ट

# IV

# संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ (Oath by the Constitutional and Other Authorities)

### 1. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उपलब्ध हो, निम्न तरीके से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात:

''मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लिप्त रहूंगा।''

### 2. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ

प्रत्येक राष्ट्रपति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात:

''मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं **अथवा** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लिप्त रहूंगा।''

### 3. संघ के मंत्रियों द्वारा शपथ

संघ का मंत्री अपना पद संभालने से पहले, राष्ट्रपति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की निम्नलिखित दो पृथक तरीकों से शपथ लेता है:

***( क ) पद की शपथ का प्रारूप***

''मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।''

***( ख ) गोपनीयता की शपथ***

मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।''

## 4. राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की शपथ

संसद के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप कोई भी व्यक्ति संसद में सीट भरने के चयन हेतु तब तक अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह निर्वाचन आयोग या उसकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कर सकता।

''मैं, अमुक, जो राज्यसभा या (या लोक सभा) का एक उम्मीदवार मनोनित किया गया हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

## 5. संसद के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की शपथ

संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या इस हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा,

''मैं, अमुक, जो राज्य सभा या (या लोक सभी) का सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

## 6. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ

प्रत्येक व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ या प्रतिज्ञान लेता है कि:

''मै अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा सीापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्ष्पात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

## 7. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जायेगा, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ लेता है:

''मैं अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्ष्पात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

## 8. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल या राज्यपाल के पद के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया जायेगा, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ या प्रतिज्ञानर लेता है:

''मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक....(राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा और मैं .... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।''

## 9. राज्य के मंत्रियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राज्य का मंत्री अपना पद संभालने से पहले, राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की निम्न दो पृथक तरीकों से शपथ लेता है:

### *(क) पद की शपथ का प्रारूप*

''मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत: करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपता अनुराग या द्वेष के बिना सभी

प्रकार के लागों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याया करूंगा।''

***( ख ) गोपनीयता की शपथ का प्रारूप***

''मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।''

## 10. राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की शपथ या प्रतिज्ञान

एक व्यक्ति तब तक चयन हेतु योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह राज्यपाल या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर निम्न तरीके से यह शपथ या प्रतिज्ञान नहीं ले लेगा:

''मैं, अमुक, जो विधान सभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं **या** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की प्रभुता और और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।''

## 11. राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की शपथ

किसी राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद् का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या उसकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा:

''मैं अमुक, जो विधान सभी (या विधान परिषद्) का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं **या** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

## 12. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ

प्रत्येक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्याल या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ या प्रतिज्ञान लेता है कि:

''मैं, अमुक जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) नियुक्त ईश्वर की शपथ लेता हूं **या** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मै भारत की प्रभुता और और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा में सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

## 13. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त, वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ या प्रतिज्ञान लेता है:

''मै अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (**या** सतर्ककता आयुक्त) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा सीापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

## 14. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा शपथ

मुख्य सूचना या प्रतिज्ञान आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ लेता है:

''मै अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं **या** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

## 15. राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्न तरीके से शपथ लेता है:

''मै अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं **या** सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा सीापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''